राष्ट्रीय अनु0 जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला की अध्यक्षता में बिहार सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेषक एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ दिनांक 18–19 मई, 2023 को ज्ञान भवन, पटना में हुई बैठक की कार्यवाही

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला की अध्यक्षता में बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री आर0 एस0 भट्ठी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री चैतन्य प्रसाद, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ दिनांक 18–19 मई, 2023 को पटना के ज्ञान भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग की तरफ से माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के अतिरिक्त श्री अरूण हलधर, माननीय उपाध्यक्ष, डा0 अंजू बाला, माननीय सदस्या, श्री सुभाष पारधी, माननीय सदस्य, श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, श्री कौशल कुमार, निदेशक एवं श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक द्वारा भाग लिया गया। बिहार सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के अलावे अन्य पदाधिकारियों की बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा **परिषिष्ट–1** पर संलग्न है। बैठक में बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु संचालित कल्याण एवं विकास की योजनाओं, राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के साथ–साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर घटित अत्याचार की घटनाओं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/नियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

बैठक में सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार द्वारा आयोग की टीम का स्वागत किया गया तथा आयोग के कार्यकलापों, दायित्वों आदि की जानकारी बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दी गई। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बिहार में अनुसूचित जाति हेतु संचालित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया गया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों पर उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है। उन्होंने आयोग के सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया। इसके उपरांत बैठक आरंभ हुई जिसमें हुई चर्चा का विवरण निम्नप्रकार है :–

शिक्षा संबंधी

1. आयोग द्वारा बिहार राज्य के अनुसूचित जातियों की साक्षरता प्रतिशत (48.67%) कम होने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई। अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त सूचना जनगणना, 2011 के अनुसार है। आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आयोग को वर्तमान आंकड़ा दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि साक्षरता दर जनगणना द्वारा ही संकलित किया जाता रहा है परंतु बिहार सरकार द्वारा भी गणना की जा रही है। अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा अनुसूचित जाति छात्रों के नामांकन बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों यथा उत्थान केन्द्रों की स्थापना, टोला सेवकों की नियुक्ति, नामांकन हेतु विशेष अभियान नये विद्यालयों का खोला जाना आदि की जानकारी दी गई।

2. आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार में प्राथमिकी में अनुसूचित जाति छात्रों की संख्या वर्ष 2017–18 में लगभग 26.58 लाख थी जो वर्ष 2018–19 में घटकर मात्र 24.32 लाख रह गई। वर्ष 2020–21 में भी प्राथमिकी में अनुसूचित जाति छात्रों की संख्या 26 लाख ही थी। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि अनुसूचित जाति के जितने बच्चे प्राथमिकी में नामांकन कराते हैं उसमें 20% बच्चे ही माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं लगभग 80% अनुसूचित जाति बच्चों का छीजन (drop out) हो जाता है। आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों का छीजन दर कम करने एवं नामांकन की संख्या बढ़ाने हेतु विशेष उपाय करने के निदेश दिये गये।

3. स्नातक स्तर विशेषकर पेशेवर स्नातक कोर्स में अनुसूचित जाति छात्रों की संख्या कम (11%) होने पर भी आयोग द्वारा चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर एक महाविद्यालय खोलने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस दिशा में अभी तक राज्य सरकार द्वारा 6 महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु बिहार में छात्रों को Student Credit Card के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी गई। इस संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु Freeship Card उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा आयोग के सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया।

4. आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि बिहार में अभी तक कुल कितने छात्रों को Student Credit Card से लाभान्वित किया गया है एवं उसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या मांगी गई। राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई कि मार्च, 2023 तक कुल 2.05 लाख छात्रों को Student Credit Card के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इसके विरूद्ध अनुसूचित जाति छात्रों की संख्या मात्र 20602 है। आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों हेतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। इससे शिक्षा में अनुसूचित जाति बच्चों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

5. बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति लाभर्थियों की संख्या 10.21% थी जो 2019–20 में घटकर मात्र 0.005% एवं वर्ष 2020–21 में घटकर 0% हो गई। आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा इसके कारणों की जानकारी के साथ–साथ यह भी जानकारी मांगी गई कि आवास योजना के आवंटन में अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित मानदंड है या आरक्षण है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आलोक में निर्मित प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य होने के कारण वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या शून्य है। परंतु भारत सरकार के आदेश के आलोक में पुनः सर्वेक्षण कराया गया है जिसके आलोक में पुनः सूची बनाई गई है। इस सूची से वर्ष 2021–22 में अनु0 जाति के 4,84,840 (48.80%) परिवार को लाभन्वित

किया गया है। आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या की जानकारी मांगी गई।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017–18 से 2020–21 के बीच अनु0 जाति लाभर्थियों की संख्या 18.8% थी। आयोग द्वारा इस पर संतोष व्यक्त करते हुए शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जाति परिवारों के अनुपात की जानकारी मांगी गई।

स्वास्थ्य

7. बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति लाभार्थियों की संख्या आयोग को उपलब्ध नहीं करायी गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020–21 में प्रत्येक योजना में (संस्थागत प्रसव को छोड़कर) लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2019–20 की तुलना में बहुत कम है। इस पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया।

आर्थिक सशक्तिकरण हेतु वित्तीय मामले

8. अनुसूचित जाति के सदस्यों के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में बैंकों के माध्यम से संचालित योजनाए यथा मुद्रा लोन, स्टार्ट अप एन0 आर0 एल0 एम0, एन0 यू0 एल0 एम0 आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आयोग को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई। परंतु बैठक में उपस्थित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक भारतीय स्टेट बैंक के श्री एस0 पी0 झा, सहायक महाप्रबंधक द्वारा सूचना दी गई कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से 2021–22 के बीच कुल 12.37 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित किया गया जिसका प्रतिशत 41.79 था। आयोग के माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि प्रावधान के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति के होने चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष द्वारा जानकारी मांगी गई कि अनुसूचित जाति के कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत/अस्वीकृत हुए एवं कितने लोगों को राशि भुगतान किया गया इसकी सूचना योजनावार एवं वर्षवार आयोग को उपलब्ध कराया जाय।

9. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जानकारी मांगी गई अनुसूचित जाति के कितने सदस्यों को 10 लाख से उपर के ऋण स्वीकृत हुए है इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध करायी जाय। बैठक में उक्त सूचना आयोग को तत्काल उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

10. मैला ढ़ोने वालों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बताया गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के बीच कुल 124 लाभार्थियों में 65 (52.42%) सदस्य अनुसूचित जाति के थे। आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा 47.58% लाभार्थी के सामान्य श्रेणी (Other than SC) के होने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया तथा यह जानकारी मांगी गई कि आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा बैंकों को उपलब्ध करायी गई है या बैंक अपने स्तर से आंकड़ा एकत्रित करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई कि आंकाड़ा उनके द्वारा बैंकों को उपलब्ध नहीं करायी गई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को भुगतान की राशि में भी बहुत ज्यादा असमानता पायी गई।

11. स्टैण्ड अप योजना के अन्तर्गत सूचना दी गई कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक अनुसूचित जाति के मात्र 1976 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है जबकि बिहार में बैंकों के कुल 7883 शाखाऐं हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ पहुँचाने के निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण करने पर बल दिया गया।

12. आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि Differential Rate of Interest (DRI) Credit Enhancement Guarantee Scheme for Sch. Caste, Venture Capital Fund for Sch. Caste आदि कई योजनाऐं हैं जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। इस संबंध में बैंकों एवं लाभार्थियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी Guidelines का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। वित्त सचिव, बिहार सरकार द्वारा इन मुद्दो को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में रखने का आश्वासन आयोग को दिया गया।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की सूचना संबंधित विभाग द्वारा आयोग को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

पेयजल

13. राज्य सरकार द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में अनुसूचित जाति लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 21.51% थी। इस अवधि के बाद बिहार में हर घर नल का जल योजना लागू किया गया है और इससे बिहार के लगभग सभी परिवार आच्छादित हैं।

छात्रावास

14. बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि बिहार में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं हेतु कुल 114 छात्रावास हैं जिसकी क्षमता लगभग 5600 छात्र–छात्राओं की है जिसके विरूद्ध छात्रावासों में रहने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या लगभग 4500 है। आयोग द्वारा रिक्त जगहों को शीघ्र भरने का निदेश दिया।

15. समीक्षा के दौरान पाया गया अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु बिहार में सिर्फ 6 जिलों में ही छात्रावास उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा बिहार के सभी जिलों में कम से कम एक छात्रावास अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु संचालित करने का सुझाव दिया गया तथा साथ ही छात्रावासों की क्षमता बढ़ाये जाने पर बल दिया गया।

छात्रवृत्ति

16. समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति के सिर्फ 79.43% छात्रों को ही भुगतान किया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2020–21 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 9 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिये

जाने पर असंतोष प्रकट किया गया तथा निदेश दिये गये कि आवंटित राशि का पूर्ण व्यय किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके।

17. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की समीक्षा में पाया गया कि अनुसूचित जाति के छात्रों की एक बड़ी संख्या किसी न किसी कारण से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाते। वर्ष 2020–21 में अनु0 जाति के 4.50 लाख छात्रों में मात्र 1.08 लाख छात्र ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर पाये और उसमें भी मात्र 77182 बच्चों को ही छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सूचना दी गई कि भारत सरकार द्वारा पोर्टल बंद हो जाने के कारण छात्र ऑन लाईन आवेदन नहीं कर पाते। माननीय अध्यक्ष द्वारा इस पर आपत्ति जताते हुए बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पोर्टल कभी बंद नहीं होता। माननीय अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित कराया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति के अभाव में छीजन दर बढ़ने के साथ–साथ बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जो एक चिंता का विषय है।

मनरेगा

18. मनरेगा अन्तर्गत बिहार में अनुसूचित जाति लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत साल दर साल घटने पर आयोग द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सूचनानुसार वर्ष 2017–18 में 21.72% रोजगार लाभान्वित परिवार अनुसूचित जाति के थे जो वर्ष 2020–21 में घटकर मात्र 11.56% रह गई। आयोग द्वारा इस पर राज्य कार्यालय का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अनुसूचित जाति उप योजना का क्रियान्वयन

19. समीक्षा के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत बिहार में वर्ष 2017–18 से 2020–21 के बीच आवंटन 16% से 19% के बीच की गई। परंतु अनुसूचित जाति हेतु अनन्य योजनाओं पर खर्च लगभग 1.50% रहा। इस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा विभागावार समीक्षा की गई एवं पाया गया एक–दो विभागों को छोड़कर किसी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति हेतु अनन्य योजना (Exclusive Scheme) नहीं चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा वर्षवार एवं योजनावार आवंटन एवं व्यय का ब्यौरा मांगा गया। आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोग अनुसूचित जाति हेतु नहीं किये जाने पर नीति आयोग द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है। नीति आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया जाय जो अनुसूचित जाति हेतु योजनाओं के साथ–साथ लाभार्थियों का चयन करेगा।

20. डेयरी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु योजनाऐं संचालित नहीं किये जाने पर आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा चिंता व्यक्त की गई। उनके द्वारा जानकारी मांगी गई कि बिहार में अनुसूचित जाति के कितने सहयोग समितियां (Co-operative Society) हैं। बैठक के समय इसकी जानकारी नहीं दी जा सकी।

सेवा संबंधी

21. आयोग द्वारा बिहार में कुल बैकलॉग पदों की जानकारी मांगी गई। बिहार सरकार द्वारा कुछ विभागों द्वारा पहचान की गई बैकलॉग रिक्तियों की सूचना दी गई जिसके अनुसार वर्ष 2017–18 से लेकर 2020–21 तक कुल 1852 पद अनुसूचित जाति हेतु बैकलॉग की पहचान की गई जिसके विरूद्ध इन वर्षों के दौरान मात्र 160 पदों को ही भरा जा सका। आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि बिहार के सभी विभागों में अनुसूचित जाति के बैकलॉग पदों की पहचान कर बैकलॉग पदों को एक विशेष अभियान चलाकर भरा जाना चाहिए।

22. आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण एवं पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी मांगी गई एवं इससे संबंधित आंकड़ा आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

23. आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा Grievance Redressal Act एवं Dereservation के मामले में स्पष्ट विवरण आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

24. आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा कुछ विभागों में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य यथा मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग अथवा कम होने पर असंतोष प्रकट करते हुए अनुसूचित जाति को उनके कोटा के हिसाब से सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया।

अत्याचार संबंधी

25. समीक्षा के दौरान पाया गया कि उत्पीड़न के जो आंकड़े राज्य सरकार द्वारा वर्ष वार एवं जिलावार उपलब्ध कराये गये हैं उसमें मुआवजा भुगतान की राशि का विवरण सही नहीं पाया गया। हत्या एवं दुष्कर्म के जितने मामले दर्ज किये गये हैं उसी के अनुसार मुआवजा का पूर्ण भुगतान दर्शाया गया है जो सही नहीं हैं। आयोग को सही आंकड़ा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

26. राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई कि हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में पीड़ित परिवार को नौकरी एवं पेंशन मुहैया कराया जा रहा है। अभी तक 8 परिवारों को नौकरी एवं 890 परिवारों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार हत्या एवं बलात्कार से पीड़ित परिवारों को नौकरी, पेंशन, 3 एकड़ भूमि, आवास राशन स्नातक तक शिक्षा आदि दिया जाना है। किस वर्ष के कितने पीड़ितों को इस तरह के अतिरिक्त राहत उपलब्ध कराये गये हैं इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराने के निदेश दिये गये।

27. समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा उत्पीड़न के संबंध में दिये गये आंकड़े NCRB से मेल नहीं खा रहे है। आंकड़ों में एकरूपता रखने पर बल दिया गया।

28. समीक्षा के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों पर अपराध दर राष्ट्रीय अपराध दर से बहुत अधिक है। अपराधों की संख्या की लगातार बढ़ रही है। अपराध रोकने हेतु उपाय करने एवं संवेदनशीलता पर बल दिया गया।

29. समीक्षा के दौरान पाया गया कि बिहार में अत्याचार सम्बन्धी मामले अधिक मात्रा में होने के बाद भी दर्ज एफआईआर के आकड़ों में एकरूपता नजर नहीं आ रही है। एफआईआर जितनी दर्ज की गई है उसके अनुसार पीड़ितों को दिये गये मुआवजों के आकड़ों की विस्तृत जानकारी भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. समीक्षा के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ घटित सामुहिक दुष्कर्म/दुष्कर्म के मामलों में प्रावधान के अनुसार मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। दी गई सूचना के अनुसार अनुमान्य राशि का लगभग 40% ही भुगतान किया गया है। आयोग द्वारा इसपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुधार पर बल दिया गया।

31. बिहार में अनुसूचित जाति के सदस्यों पर घटित उत्पीड़न की घटनाओं में दोषसिद्ध दर वर्ष 2020 में मात्र 21.8% थी जो वर्ष 2021 में थोड़ा सुधार होकर 31.2% पाया गया। दूसरी ओर उत्पीड़न की घटनाओं के न्यायालयों में लंबित मामलों का प्रतिशत 2020 में 99.9 तथा वर्ष 2021 में 99.7 पाया गया। आयोग द्वारा इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

32. अनुसूचित जाति के लोगों पर घटित उत्पीड़न की घटनाओं की सुनवाई हेतु बिहार के 14 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं। बिहार के सभी जिलों में अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने एवं इन न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश आयोग द्वारा राज्य सरकार को दिया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति थानों में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं न्यायालयों में नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को अत्याचार निवारण अधिनियम के सही क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित करने एवं कार्यशालाओं द्वारा उन्हें संवेदनशील बनाए जाने के सुझाव दिये गये।

अन्य मामले

33. बिहार सरकार द्वारा तांती/ततवां एवं खतवे जाति को, जो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की सूची में था, उसे क्रमशः पान/स्वांसी (अनुसूचित जाति) तथा चौपाल (अनुसूचित जाति) का पर्यायवाची मानकर अति पिछड़ा वर्ग की सूची से इसे विलोपित करते हुए इन जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, प्रावधान के अनुसार पर्यायवाची होने के बावजूद भी इन जातियों को आयोग की अनुशंसा के बिना ही अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाना कानून सम्मत नहीं है।

34. राज्य सरकार द्वारा आयोग को आश्वासन दिया गया कि आयोग द्वारा मांगी गई 34 सभी सूचनाऐं आयोग को दो महीने के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

.....